भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में दिया

निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण

बारां, 30 अप्रेल (हाड़ौती संचार)।

उप निदेशक पी. पवन ने बताया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्ष किया गया था।

यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलक्टर/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा ...
भी अपील ...

इसके ...
दर्शाते हुए ...
8 को भर ...
अतिरिक्त, ...
बीएलओ ...

इन सत्रों ... (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों ... समाधान ... त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाए...

दैनिक ढोलामारू

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को

दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन-क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

ढोलामारू न्यूज

नागौर।भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उ?द्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

2 अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा

कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अ?द्यतन (updated) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के पारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दर्जा से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

3. यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और दवितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

4. इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (interactive sessions), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5. इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (resource persons) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन-क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

सीकर 30 अप्रेल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओं पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उ?द्घाटन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत जिला कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र, घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (resource persons) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर-संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ कर रहा है

श्रीगंगानगर/दिल्ली, 30 अप्रैल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एंव निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियो (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरप्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिये दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा के आम चुनावों के लिये भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार क?ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण,

फॉर्मा के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को ब?ाने के लिये डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपेट के तकनीकी प्रदर्शन किये जायेंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमश: डीएम/जिला कलक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किये जाने से संबंधित प्रावधानों से **शेष पृष्ठ 2 पर**

दैनिक सीमा किरण

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

सीमा किरण

श्रीगंगानगर/दिल्ली। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एंव निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियो (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरप्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिये दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा के आम चुनावों के लिये भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मा के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिये डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपेट के तकनीकी प्रदर्शन किये जायेंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलक्टर/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किये जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जायेगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी। इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र, घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिये व्यावहारिक अभ्यास शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन एप (वीएचए) और बीएलओ एप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को कर रहा है सुदृढ़

नवज्योति/जालोर।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन (अपडेट) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (इंटरेक्टिव सेशन), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सन) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर-संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण

श्रीगंगानगर/दिल्ली।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एंव निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियो (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तरप्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिये दो दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधानसभा के आम चुनावों के लिये भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने

के लिये जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मो के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिये डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपेट के तकनीकी प्रदर्शन किये जायेंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किये जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जायेगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र, घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिये व्यावहारिक अभ्यास शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन एप (वीएचए) और बीएलओ एप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

■ निर्भीक राजस्थान

नई दिल्ली/करौली, 30 अप्रैल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम, जिला कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी। इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र, घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

मई माह का रात्रि चौपाल कार्यक्रम जारी

■ निर्भीक राजस्थान

करौली, 30 अप्रैल। जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने मई 2025 के लिये रात्रि चौपाल कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने बताया कि 1 मई गुरूवार को सांय 6.30 बजे से करौली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जहांगीरपुर, 6 मई मंगलवार को सांय 6.30 बजे से मण्डरायल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राहिर, 8 मई गुरूवार को सांय 6.30 बजे से मासलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फतेहपुर, 15 मई गुरूवार को सांय 6.30 बजे से नादौती पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गढमौरा, 22 मई गुरूवार को सांय 6.30 बजे से श्रीमहावीरजी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पटौंदा व 30 मई शुक्रवार को सायं 6.30 बजे से पंचायत समिति सपोटरा की ग्राम पंचायत भरतून में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन समस्याऐं सुनी जायेंगी और मौके पर अधिक से अधिक परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के साथ समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिये।

THE HINDU

INBRIEF

EC conducts training event for grassroots poll officials

The Election Commission of India on Wednesday began a two-day capacity building training programme for electoral registration officers (EROs) and booth-level Officers (BLOs) from Bihar, and EROs and BLO supervisors from Haryana, Delhi, and Uttar Pradesh. As many as 369 grassroots election officials are taking part in the training programme, according to an official statement by the EC. The programme is part of the poll body's ongoing preparations for the upcoming Assembly polls in Bihar and other States, the statement said. Earlier this month, around 280 booth level agents from Bihar of 10 recognised political parties were also trained.

Hindustan Times | MY INDIA

Issue of duplicate voter IDs resolved in several states

Abhishek Angad
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI : The Election Commission of India (ECI) has resolved all instances of duplicate Voter ID cards (Elector Photo Identity Cards, EPICs) across several states, according to the people familiar with the matter.

Such duplicate EPICs were identified by state, corrected, and then reissued, ECI officials asking not to be named said.

While the cards have new numbers they also include the old EPIC numbers, in a bid to avoid any confusion where old numbers might still be referenced, the officials added.

"This was a legacy issue. Approximately , 300,000 EPICs have been rectified; 75% of these duplicates were issued before 2008 in a specific alphanumeric series. We have ensured that voters received the new cards and haver completed the process well before our three-month deadline of June," one of them said.

The issue came to light in March, when opposition parties including the Trinamool Congress flagged the issue, accusing ECI of voter fraud and manipulation.

The commission responded by clarifying that "duplicate EPICs did not imply fake voters", adding that voters can only vote at the polling station in which they are registered, regardless of the EPIC number.

THE ECI IS YET TO ADDRESS THE ISSUE OF SO-CALLED REPEAT EPICS– WHERE MULTIPLE VOTER ID CARDS HAVE BEEN GIVEN TO THE SAME ELECTOR

Officials explained the way some EPICs across states sported identical numbers.

"Before all state electoral roll databases were shifted to ERONET–a web-based platform used to manage electoral roll data–many states conducted these operations manually and in a decentralised manner," the first official said.

"As a result, some states used the same alphanumeric series, leading to duplication," the first official added.

To be sure, the ECI is yet to address the issue of so-called repeat EPICs– where multiple voter ID cards have been given to the same elector, officials said.

Sources said the Commission currently uses systems based on Demographically Similar Entries (DSEs) and Photographically Similar Entries (PSEs) to detect potential duplicates.

DSEs match voter details such as name, relation name and type, age, and gender, while PSEs analyse photographs.

"Both DSEs and PSEs are identified using deep learning technology within the ERONET platform. These can be used to detect and delete duplicates within or across constituencies in a state," a second ECI official said.

"However, the process is extremely time-consuming and has not been carried out on a pan-India scale due to scalability challenges," the second ECI official added.

शुभ लहर तरंग
जयपुर, राजस्थान
@समाचार

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

(शुभ-लहर तंगर नेटवर्क)

नई दिल्ली/ जोधपुर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

2- अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन (updated) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

3-यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और दवितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

4-इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (interactive sessions), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5- इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (resource persons) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर-संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन-क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

● सच मीडिया

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उ?द्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। 2 अपने उ?द्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के पारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दर्जा से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। 3. यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और दवितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी। 4. इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र, घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5. इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-बैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन (अपडेट) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था। यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और द्वितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा।

यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी। इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (इंटरेक्टिव सेशन), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (रिसोर्स पर्सन) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर-संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

दैनिक उजाला भारत

भारत निर्वाचन आयोग आईआईआईडीईएम में निर्वाचन अधिकारियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण देकर निर्वाचन क्षेत्र में तत्परता को सुदृढ़ कर रहा है

उजाला भारत न्यूज

नई दिल्ली/ जोधपुर। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बिहार के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) तथा हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ईआरओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए दो दिवसीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी विधान सभा के आम चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की चल रही तैयारियों का हिस्सा है। इस मिश्रित-वैच वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 369 जमीनी स्तर के चुनाव पदधारी भाग ले रहे हैं।

2. अपने उद्घाटन अभिभाषण में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ-साथ बीएलओ और ईआरओ सही और अद्यतन (updated) निर्वाचक नामावली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार कड़ाई से काम करना है। इसी महीने के प्रारंभ में, 10 मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से संबंधित बिहार के लगभग 280 बीएलए को भी आईआईआईडीईएम में प्रशिक्षित किया गया था।

3. यह प्रशिक्षण विशेषकर मतदाता पंजीकरण, फॉर्मों के प्रबंधन और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तर पर कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों की व्यावहारिक समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पदधारियों के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट के तकनीकी प्रदर्शन किए जाएंगे और इनका प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रतिभागियों को प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 (क) के तहत क्रमशः डीएम/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष, प्रथम और दवितीय अपील किए जाने से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराया जाएगा। यह स्मरणीय है कि 6 से 10 जनवरी, 2025 तक विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का कार्य पूरा होने के बाद बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कोई भी अपील दायर नहीं की गई थी।

4. इसके पाठ्यक्रम में परस्पर संवाद के सत्र (interactive sessions), घर-घर सर्वेक्षण को दर्शाते हुए भूमिकाएं निभाने, केस स्टडी और फॉर्म 6, 6क, 7 और 8 को भरने के लिए व्यावहारिक अभ्यास शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और बीएलओ ऐप के संबंध में भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

5. इन सत्रों का संचालन राष्ट्रीय स्तर के अनुभवी मास्टर प्रशिक्षकों (एनएलएमटी) और आयोग के आईटी तथा ईवीएम डिवीजन के विशेषज्ञों (resource persons) द्वारा किया जाएगा। ये सत्र परस्पर-संवाद आधारित होंगे और इनमें क्षेत्र-स्तर पर होने वाली सामान्य त्रुटियों के समाधान तथा त्रुटियों से बचने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।